रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No D (DN)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई दिल्ली शनिवार, मार्च 26, 1983/चैत्र 5, 1905
No. 102] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 26, 1983/CHAITRA 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1983

सा०का०नि० 283 (अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिये नियमों का एक प्रारूप खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) का अधिसूचना सं० सा०का०नि० 156 तारीख 30 जनवरी, 1982 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 13 फरवरी, 1982 (पृष्ठ 163—166) पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, नब्बे दिन की समाप्ति पर या उसके पश्चात् उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 13 फरवरी, 1982 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार ने प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (चतुर्थ संशोधन) नियम 1983 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे, सिवाय नियम 4 के, जो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रवृत्त होगा।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 36 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायगा, अर्थात् :

"परन्तु 25 वर्ग से०मी० से अनधिक क्षेत्रवाली घोषणा में प्रयुक्त टाइप की ऊंचाई 1.0 मि०मी० से कम नहीं होगी।"

3. उक्त नियम के नियम 37-क में स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु कृत्रिम सुरुचिकारक पदार्थों के लेबल पर सुरुचिक के रासायनिक नामों की इस नियम के अधीन घोषणा आवश्यक नहीं है। प्राकृतिक सुरुचिकारक पदार्थों या प्रकृति समरूप पदार्थों की दशा में सुरुचिक का सामान्य नाम लेबल पर वर्णित होगा।"

4. उक्त नियम के नियम 48-ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"48ग—खाद्य योज्यों का विक्रय : कतिपय खाद्यों में प्रयोग के लिए अनुज्ञात निम्नलिखित खाद्य योज्यों का विक्रय, केवल भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह के अधीन ही किया जाएगा, अर्थात् :—

1. सल्फ्यूरिक अम्ल	(खाद्य श्रेणी)
2. सोडियम प्रोपिओनेट	"
3. कैल्शियम प्रोपिओनेट	"
4. सोबिक अम्ल	"
5. पोटेशियम मैटाबाईसल्फाइट	"
6. सोडियम मैटाबाइसल्फाइट	"
7. सोर्बिटाल	"
8. बेंजोइक अम्ल	"
9. सोडियम बेंजाएट	"
10. फमोरिक अम्ल	"
11. सोडियम कार्बोक्सि मैथिल सेलुलोस	"
12. सोडियम एल्गिनेट	"
13. एगार एगार	"
14. एल्गिनिक एसिड	"
15. कैल्शियम एल्गिनेट	"
16. जिलेटिन	"
17. एस्कोर्बिक अम्ल	"
18. ब्यूटाइलेटेड हाईड्रोक्सी टोल्यून (बी एच टी)	"
19. ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनीसोल (बी०एच०ए०)	
20. कैरेमल	"
21. एन्नेटोकलर	"

5. उक्त नियमों के नियम 59 के प्रथम परन्तुक की मद 10 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"टटियरी ब्यूटाइलहाइड्रोक्विनोन (टी बी एच क्यू)—0.02 प्रतिशत"

6. उक्त नियमों के नियम 62 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"62-क. खाद्य तेल और वसा में झाग को दूर करने वाले कारक :—भारी वसा तलने के लिये खाद्य तेल और वसा में एक भाग प्रतिलाख तक की अधिकतम सीमा तक झाग दूर करने के लिए डाइमेथिल पोलीसिलोक्सेन खाद्य श्रेणी का प्रयोग किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिये "झाग दूर करने वाले कारक" से ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जो गर्म करने के दौरान हानिकारक परिवर्तनों और झागाधिक्य को कम करता हो।"

भाग XIII—सुरुचि कारक में,—

(i) उक्त नियमों के नियम 63 को नियम 63क के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित नियम 63क के पूर्व निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"63 सुरुचिकारक : सुरुचिकारक के अन्तर्गत सुरुचिक पदार्थ, सुरुचिक सत या सुरुचिक निर्मितियां जो खाद्य को सुरुचि-गुण धर्म अर्थात् स्वाद गंध या दोनों देने में सक्षम हैं। सुरुचिकारक निम्नलिखित तीन प्रकार के हो सकेंगे :—

(क) प्राकृतिक सुरुचिक और प्राकृतिक सुरुचिक पदार्थ मानवीय उपभोग के लिये स्वीकार्य क्रमशः ऐसी सुरुचिक निर्मितियां और एकल पदार्थ हैं, जो वनस्पति, यदाकदा पशु, कच्ची सामग्री से, चाहे वह अपनी प्राकृतिक या प्रसंस्कृत अवस्था में हों, मानवीय उपभोग के लिये भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा आत्यंतिक रूप से निकाले गए हैं।

(ख) प्रकृति समरूप सुरुचिकारक पदार्थ :—

प्रकृति समरूप सुरुचिकारक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो ऐरोमैटिक कच्ची सामग्री से रासायनिक रूप से विलग किए गए हैं या संश्लिष्टात्मक रूप से प्राप्त किए गये हैं, वे मानवीय उपभोग के लिए आशयित प्राकृतिक उत्पादों में विद्यमान पदार्थों के रासायनिक रूप से समरूप है, चाहे वे प्रसंस्कृत हों या नहीं।

(ग) कृत्रिम सुरुचिकारक पदार्थ:—

कृत्रिम सुरुचिकारक पदार्थ वे पदार्थ हैं, जिनकी मानवीय उपभोग के लिये आशयित प्राकृतिक उत्पादों में पहचान नहीं की गई है चाहे वे प्रसंस्कृत हों या नहीं

8. उक्त नियम के भाग xiii के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"भाग xiiiक—खाद्य योज्यों को आगे ले जाना।

"64क खाद्य योज्यों का आगे ले जाना—

(1) परिशिष्ट ख में विनिर्दिष्ट मानकों के प्रयोजन के लिए "आगे ले जाना" सिद्धांत खाद्य में योज्यों की विद्यमानता ऐसे रंगों, सुरुचिकारकों, अनाक्सी कारकों, प्रतिपिण्डकारकों, पायसी और स्थायी कारकों और परिरक्षकों को लागू होता है, जो ऐसी कच्ची सामग्री या अन्य संघटकों के, जो इन योज्यों में प्रयुक्त हुए थे, उपयोग का परिणाम है। इस प्रयोजन के अन्तर्गत संदूषकों की विद्यमानता नहीं है।

(2) खाद्य में योज्य की विद्यमानता को लागू आगे ले जाने वाला सिद्धांत साधारणतया तब तक अनुज्ञेय है जब तक कि इन नियमों में या परिशिष्ट ख में अन्यथा विनिर्दिष्टतः प्रतिषिद्ध न हो परन्तु यह कि कुल योज्य जिसके अन्तर्गत कच्ची सामग्री या अन्य संघटकों के माध्यम से खाद्य योज्यों को आगे ले जाना है, इस प्रकार अनुज्ञात अधिकतम मात्रा से अधिक न हो।"

[सं० पी० 15014/10/80-पी०एच० (एफ एंड एन पी एफ ए०)]

एम० के० सुधाकर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 मूल नियम पहली बार भारत सरकार के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 उपखंड (1) में का० नि० आ० तारीख 12-9-1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

1. सा०का०नि०सं० 425 तारीख 4-1-1960
2. सा०का०नि०सं० 1134 तारीख 16-9-1961
3. सा०का०नि०सं० 1589 तारीख 22-10-1964
4. सा०का०नि०सं० 1811 तारीख 11-12-1965
5. सा०का०नि०सं० 74 तारीख 8-1-1966
6. सा०का०नि०सं० 382 तारीख 19-3-1966
7. सा०का०नि०सं० 1256 तारीख 26-8-1967
8. सा०का०नि०सं० 1533 तारीख 24-8-1968
9. सा०का०नि०सं० 2163 तारीख 14-1[illegible]-1968
10. सा०का०नि०सं० 532 तारीख 8-3-1969
11. सा०का०नि०सं० 1764 तारीख 26-7-1969
12. सा०का०नि०सं० 2068 तारीख 30-8-1969
13. सा०का०नि०सं० 1809 तारीख 24-10-1970
14. सा०का०नि०सं० 938 तारीख 12-6-1971
15. सा०का०नि०सं० 992 तारीख 3-7-1971
16. सा०का०नि०सं० 553 तारीख 6-5-1972
17. सा०का०नि०सं० 133 तारीख 10-2-1973
18. सा०का०नि०सं० 205 तारीख 23-2-1974
19. सा०का०नि०सं० 850 तारीख 12-7-1975
20. सा०का०नि०सं० 508 (अ) तारीख 27-9-1975
21. सा०का०नि०सं० 63(अ) तारीख 5-2-1976
22. सा०का०नि०सं० 754 तारीख 29-5-1976
23. सा०का०नि०सं० 856 तारीख 12-6-1976
24. सा०का०नि०सं० 1417 तारीख 2-10-1976
25. सा०का०नि०सं० 4(अ) तारीख 4-1-1977
26. सा०का०नि०सं० 28(अ) तारीख 15-1-1977
27. सा०का०नि०सं० 651(अ) तारीख 22-10-1977
28. सा०का०नि०सं० 732(अ) तारीख 5-12-1977
29. सा०का०नि०सं० 775(अ) तारीख 27-12-1977
30. सा०का०नि०सं० 36(अ) तारीख 21-1-1978
31. सा०का०नि०सं० 70(अ) तारीख 8-2-1978
32. सा०का०नि०सं० 238(अ) तारीख 20-4-1978
33. सा०का०नि०सं० 393(अ) तारीख 4-8-1978
34. सा०का०नि०सं० 590(अ) तारीख 23-12-1978
35. सा०का०नि०सं० 55 (अ) तारीख 31-1-1979
36. सा०का०नि०सं० 231(अ) तारीख 6-4-1979
37. सा०का०नि०सं० 19(अ) तारीख 28-1-1980
38. सा०का०नि०सं० 243 तारीख 1-3-1980
39. सा०का०नि०सं० 244 तारीख 1-3-1980
40. सा०का०नि०सं० 579(अ) तारीख 13-10-1980
41. सा०का०नि०सं० 652(अ) तारीख 4-11-1980
42. सा०का०नि०सं० 710(अ) तारीख 22-12-1980
43. सा०का०नि०सं० 23(अ) तारीख 16-1-1981
44. सा०का०नि०सं० 290(अ) तारीख 15-4-1981
45. सा०का०नि०सं० 503(अ) तारीख 1-9-1981
46. सा०का०नि०सं० 44(अ) तारीख 5-2-1982
47. सा०का०नि०सं० 57(अ) तारीख 11-2-1982
48. सा०का०नि०सं० 245(अ) तारीख 11-3-1982
49. सा०का०नि०सं० 422(अ) तारीख 24-5-1982
50. सा०का०नि०सं० 47[illegible] (अ) तारीख 29-6-1982

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 1983

G.S.R. 283(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published as required by Sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), with the notification of Government of India in the Ministry of Health and

Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 156, dated the 30th January, 1982, published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) dated the 13th February, 1982 (at pages 463—466) inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby on or after the expiry of ninety days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public ;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 13th February, 1982 and whereas the objections and suggestions received from the public on the draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 23 of the said Act the Central Government after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules, further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :—

RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Fourth Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette except rule 4 which shall come into force after a period of two years from the date of publication of the notification.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as the said rules) to rule 36, the following proviso shall be added, namely :

"Provided that the height of the types used in the declaration having an area not greater than 25 square centimeters, shall not be less than 1.0 mm".

3. To rule 37-A of the said rules, before the Explanation, the following proviso shall be added, namely :

"Provided that the labels of artificial flavouring substances may not declare the chemical names of flavours under this rule. In case of natural flavouring substances or nature-identical flavouring substances, the common name of flavour shall be mentioned on the label."

4. After rule 48-B of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"48-C—Sale of Food Additives :—The following food additives permitted for use in certain foods shall be sold only under the Indian Standards Institution Certification marks, namely :—

1. Sulphuric acid (Food Grades)
2. Sodium propionate (Food Grade)
3. Calcium propionate (Food Grade)
4. Sorbic acid (Food Grade)
5. Potassium metabisulphite (Food Grade)
6. Sodium metabisulphite (Food Grade)
7. Sorbitol (Food Grade)
8. Benzoic acid (Food Grade)
9. Sodium benzoate (Food Grade)
10. Fumaric acid (Food Grade)
11. Sodium carboxymethyl cellulose (Food Grade)
12. Sodium alginate (Food Grade)
13. Agar Agar (Food Grade)
14. Alginic acid (Food Grade)
15. Calcium alginate (Food Grade)
16. Gelatin (Food Grade)
17. Ascorbic acid (Food Grade)
18. Butylated Hydroxy Toluene (B H T) (Food Grade)
19. Butylated Hydroxy Anisole (B H A) (Food Grade)
20. Caramel (Food Grade)
21. Annatto colour." (Food Grade)

5. In rule 59 of the said rules, after item 10 of the first proviso, the following item shall be inserted, namely :—

"Tertiary butyl hydro quinone (TBHQ)—0.02 per cent."

6. After rule 62 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"63-A—Antifoaming agents in edible oils and fats:- Dimethyl Polysiloxane, food grade, may be used as an antifoaming agent in edible oils and fats for deep fat frying upto a maximum limit of 10 parts per million."

Explanation :—For the purpose of this rule, "Anti-foaming agent means substance which retards deteriorative changes and foaming height during heating."

7. In part XIII—Flavouring Agents :—

(i) Rule 63 to the said rules shall be renumbered as rule 63-A, and before rule 63-A as so renumbered, the following rule shall be inserted, namely :—

"63 -Flavouring agents :—Flavouring agents include flavour substances, flavour extracts or

flavour preparations, which are capable of imparting flavouring properties, namely taste or odour or both to food. Flavouring agents may be of following three types :—

(A) Natural Flavours and Natural Flavouring Substances :

"Natural flavours" and "Natural flavouring substances" are flavour prepartions and single substance respectively, acceptable for human consumption, obtained exclusively by physical processes from vegetable, sometimes animal raw materials either in their natural state or processed, for human consumption.

(B) Nature Identical Flavouring Substances :—

Nature-identical flavouring substances are substances chemically isolated from aromatic raw materials or obtained synthetically; they are chemically identical to substances present in natural products intended for human consumption, either processed or not.

(C) Artificial Flavouring Substances :—

Artificial flavouring substances are those substances which have not been identified in natural products intended for human consumption either processed or not."

8. After Part XIII of the said rules, the following Part shall be inserted, namely :—

"Part XIII A—Carry over of Food Additive

64—C—Carry over of Food Additives :—

(1) For the purpose of the standards specified in Appendix B, the "Carry Over" principle applied to the presence of additives such as colours, flavouring agents, antioxidants, anti-caking agents, emulsifying and stabilizing agents and preservative in food, as a result of the use of raw material or other ingredients in which these additives were used. The presence of contaminants is not covered by this purpose.

(2) The presence of an additive in food through the application of the carry over principle is admissible in general unless otherwise specifically prohibited in the rules or in Appendix B provided the total additive including the carry over through the raw material or other ingredients does not exceed the maximum amount so permitted."

[No. P. 15014/10/80-P.H. (F&N) PFA]

S.K. SUDHAKAR, Jt. Secy.

NOTE :—Principle rules of Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were first published in Government of India Gazette, Part II, Section (3), Sub-section (i) vide S.R.O. 2106 dated 12-9-1955 and subsequently amended as follows :—

1. G.S.R. No. 425 Dated 4-4-1960
2. G.S.R. No. 1134 Dated 16-9-1961
3. G.S.R. No. 1589 Dated 22-10-1964
4. G.S.R. No. 1814 Dated 11-12-1965
5. G.S.R. No. 74 Dated 8-1-1966
6. G.S.R. No. 382 Dated 19-3-1966
7. G.S.R. No. 1256 Dated 26-8-1967
8. G.S.R. No. 1533 Dated 24-8-1968
9. G.S.R. No. 2163 Dated 14-12-1968
10. G.S.R. No. 532 Dated 8-3-1969
11. G.S.R. No. 1764 Dated 26-7-1969
12. G.S.R. No. 2068 Dated 30-8-1969
13. G.S.R. No. 1809 Dated 24-10-1970
14. G.S.R. No. 938 Dated 12-6-1971
15. G.S.R. No. 992 Dated 3-7-1971
16. G.S.R. No. 553 Dated 6-5-1972
17. G.S.R. No. 133 Dated 10-2-1973
18. G.S.R. No. 205 Dated 23-2-1974
19. G.S.R. No. 850 Dated 12-7-1975
20. G.S.R. No. 508 (E) Dated 27-9-1975
21. G.S.R. No. 63(E) Dated 5-2-1976
22. G.S.R. No. 754 dated 29-5-1976
23. G.S.R. No. 856 Dated 12-6-1976
24. G.S.R. No. 1417 Dated 2-10-1976
25. G.S.R. No. 4(E) Dated 4-1-1977
26. G.S.R. No. 18 (E) Dated 15-1-1977
27. G.S.R. No. 651 (E) Dated 22-10-1977
28. G.S.R. No. 732 (E) Dated 5-12-1977
29. G.S.R. No. 775 (E) Dated 27-12-1977
30. G.S.R. No. 36(E) Dated 21-1-1978
31. G.S.R. No. 70(E) Dated 8-2-1978
32. G.S.R. No. 238 (E) Dated 20-4-1978
33. G.S.R. No. 393 (E) Dated 4-8-1978
34. G.S.R. No 590 (E) Dated 23-12-1978
35. G.S.R. No. 55(E) Dated 31-1-1979
36. G.S.R. No. 231(E) Dated 6-4-1979
37. G.S.R. No. 19(E) Dated 28-1-1980
38. G.S.R. No. 243 Dated 1-3-1980
39. G.S.R. No. 244 Dated 1-3-1980
40. G.S.R. No. 579 (E) Dated 13-10-1980
41. G.S.R. No. 652 (E) Dated 4-11-1980
42. G.S.R. No. 710(E) Dated 22-12-1980
43. G.S.R. No. 23(E) Dated 16-1-1981
44. G.S.R. No. 290 (E) Dated 13-4-1981
45. G.S.R. No. 503 (E) Dated 1-9-1981
46. G.S.R. No. 44 (E) Dated 5-2-1982
47. G.S.R. No. 57 (E) Dated 11-2-1982
48. G.S.R. No. 245 (E) Dated 11-3-1982
49. G.S.R. No. 422 (E) Dated 24-5-1982
50. G.S.R. No. 476 (E) Dated 29-6-1982.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983